

सोनाटा फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड

आचार संहिता

परिचय: सोनाटा फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड एक नॉन बैंकिंग फाईनेन्स कम्पनी है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के एक्ट 1934 के सेक्शन 45 ए के तहत रजिस्टर्ड है। एक माईक्रोफाईनेन्स कम्पनी के रूप में सोनाटा ने सन् 2006 में माईक्रोफाईनेन्स व्यवसाय की शुरुआत अपने प्रधान कार्यालय से की, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है।

यद्यपि सोनाटा अपने सामान्य आचार संहिता पर टिकी हुई है, जो कि सा-धन और एम0 फिन0 के द्वारा तैयार की गई है, जिससे हमारे दूसरे माईक्रोफाईनेन्स कम्पनियों के बीच एक पारदर्शिता, अनुशासन, सहयोग, स्वस्थ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, शिकायतों और उनके निवारण इत्यादि की पद्धति बनी रहे। इसके अलावा सोनाटा का अपना एक आचार संहिता भी है जो निम्नलिखित है :

- **व्यवसाय और समाजिक नीतियों के लिए वचनबद्ध होना** – हम इस व्यवसाय को निर्धारित कानून एवं नियमों तथा व्यवसायिक तौर तरीके एवं नैतिकता के उच्चतम मापदण्डों के साथ-साथ व्यवसाय करने के प्रति वचनबद्ध हैं।
- **कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों:** हम अपने कर्मचारियों एवं सदस्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए व्यवहारिक तौर पर व्यवसाय को सच्चाई, ईमानदारी एवं नीतियों के तहत करने के लिये उत्तरदायी हैं।
- **कार्य पारदर्शिता एवं नितियाँ :** हम अपनी सदस्यों के व्यवहारिक नीतियों एवं उन पर होने वाली प्रभावी लागत के लिए खुले रूप से स्पष्ट हैं।
- **भेद-भाव का न होना:** हम जात-पात, मजहब, धर्म, स्त्री या पुरुष में किसी भी प्रकार का कोई भेद-भाव या पक्षपात न करते हुए पूरे विश्वास के साथ कार्य करते हैं।
- **ऋण की योग्यता-** हमें किसी भी सदस्य को जोड़ते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उस सदस्य ने वर्तमान समय में किसी दूसरे माईक्रोफाईनेन्स या बैंकर से दो से ज्यादा ऋण नहीं प्राप्त किया है।
- **अत्यधिक ऋण वितरण से बचें:** नई सदस्यों को ऋण वितरण के दौरान यह सुनिश्चित करे कि उस सदस्य ने किसी दूसरे माईक्रोफाईनेन्स या किसी बैंकर से 80,000 रुपये से अधिक का ऋण न प्राप्त किया हो।
- **सौहाद्रपूर्ण संबंध एवं निवेदनपूर्ण ऋण संग्रह को व्यवहार में लाना :** हमें अपनी सदस्यों एवं कम्पनी के प्रबन्ध को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक पार्टनर की तरह समझना चाहिए। इसी तरह ऋण भुगतान लेते समय हमें रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, भारतदीय बैंकिंग संस्थान, ~~डब्ल्यू~~ और ~~ऋण~~ के सभी नियमों व निर्देशन का पूर्ण रूप से पालन भी करना चाहिए।

जैसे कि कर्मचारियों को यह बिलकुल अनुमति नहीं दी जाती है कि वे सदस्याओं से ऋण संग्रह करते समय किसी प्रकार की जोर-जबरदस्ती या अनैतिक साधनों का उपयोग करें।

- **गोपनीयता एवं समय की पाबंदी**— हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सदस्याओं के सभी कागजातों को गोपनीय तरीके से रखते हुए उन्हें समयानुसार आफिस में प्रस्तुत किया जा रहा है।
- **निष्पक्ष संबंध** : कर्मचारियों को यह बिलकुल अनुमति नहीं है कि वे सदस्याओं के साथ किसी प्रकार का व्यक्तिगत एवं व्यवसायिक संबंध रखें।
- **रचनात्मक प्रतिस्पर्धा** : हम व्यवसाय में दूसरे प्रतिद्वन्दियों के साथ पूर्ण रूप से पारदर्शिता एवं सूचनाओं के आदान-प्रदान में विश्वास रखते हैं।
- **प्रतिक्रिया एवं शिकायतों पर निगरानी रखना** : हम अपने सदस्याओं एवं कर्मचारियों के सभी शिकायतों एवं समस्याओं को ध्यान पूर्वक सुनते हैं और उन्हें सही सलाह देते हुए व्यवहारिक तरीके से उनका निपटारा करते हैं।
- **अनुकूल पद्धति को अपनाना** : हम ऋण वितरण पद्धति के तहत कम्पनी की बहुत ही साफ-सुथरी एवं असान पद्धति को अपनाते हैं, जो कि हमारी सदस्याओं के लिए एकदम अनुकूल है।
- **अधिकार एवं विकेन्द्रीयकरण** : हम अपने कर्मचारियों के अधिकार एवं उनका कार्यस्थल समयानुसार अनुकूल स्थानों पर बदलते रहने की पद्धति को अपनाते हैं।